रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042026-271968
CG-DL-E-22042026-271968

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]	नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 2026/वैशाख 1, 1948
No. 274]	NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 2026/VAISAKHA 1, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 298(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारुप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित रुप से भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 76 (अ), दिनांक 30 जनवरी, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में, उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करते हुए उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गईं थीं, प्रकाशित किए गए थे;

और, दिनांक 30 जनवरी, 2026 को उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करा दी गईं थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 और धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पाँचवाँ संशोधन) नियमावली 2026 है।

(2) ये नियम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, के नियम 81 की सारणी में, क्रम संख्या (11 क) के सामने, स्तंभ (2) में, -

(i) मद (घ) की, उप-मद (2) के स्तंभ (3) में, "पाँच हजार रुपये" प्रविष्टि के स्थान पर "दो हजार पाँच सौ रुपये" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) मद (ङ) की, उप-मद (2) के स्तंभ (3) में, "पाँच हजार रुपये" प्रविष्टि के स्थान पर "दो हजार पाँच सौ रुपये" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. आरटी-23013/8/2025-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **II**, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. **112** (अ) तारीख 4 फरवरी **2026** द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2026.

G.S.R. 298(E).— Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, was published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 76(E), dated the 30th January, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 30th January, 2026;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government.

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by section 64 and section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. Short title and commencement. -- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 81, in the TABLE, against serial number (11A), in column (2), -

(i) in item (d), in sub-item (2), under column (3), for the entry "Five thousand rupees", the entry " Two thousand five hundred rupees", shall be substituted;

(ii) in item (e), in sub-item (2), under column (3), for the entry " Five thousand rupees", the entry "Two thousand five hundred rupees", shall be substituted.

[F. No. RT-23013/8/2025-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 112 (E) dated 4th February, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.04.22 14:14:59 +05'30'